

भारत संघ एवं अन्य

बनाम

पारुल देबनाथ और अन्य

(सिविल अपील संख्या 3379/2009)

6 मई, 2009

(अल्तमस कबीर और साइरियक जोसेफ, जे.जे.)

अंडमान और निकोबार द्वीप होम गार्ड विनियम, 1964:

विनियम 4 -होम गार्ड -12-23 वर्षों तक बने रहना -नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन का दावा -पंथा चटर्जी के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश -ऐसी योजना में, 100 प्रतिशत आरक्षण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि प्रत्यर्थियों के अवशोषण से नई नियुक्तियाँ नहीं हुईं जो आरक्षण के प्रश्न को जन्म दे सकती थीं।

प्रत्यर्थियों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होम गार्ड विनियम 1964 के विनियम 4 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होम गार्ड संगठन में होम गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन यह निर्देश देने हेतु दायर किया कि अपीलकर्ता प्रशासनिक अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश

दिए। उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए एक उपयुक्त योजना, क्योंकि वे बिना किसी ब्रेक के 12-23 वर्षों से सेवा में बने हुए थे, और उन्हें समान काम के लिए समान वेतन, नियमित संगठन में उनके समकक्षों के बराबर वेतन के सिद्धांत पर दिये जाने के लिए एक योजना बनाये। विशेष रूप से उन होम गार्डों के लिए जो अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के नियमित कर्मचारियों के समान कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। ट्रिब्यूनल ने संबंधित अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों और मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थियों और अन्य समान स्थिति वाले होम गार्डों के अवशोषण/नियमितीकरण/नियुक्ति के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि ट्रिब्यूनल द्वारा सुझाई गई योजना को पंथा चटर्जी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए। इसके बाद अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं को समायोजित करने के लिए रिक्त पदों में से 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की गई, जबकि 80 प्रतिशत रिक्तियां अन्य उम्मीदवारों के लिए अलग रखी गईं। उक्त योजना को उत्तरदाताओं द्वारा एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। हालाँकि, अपील पर, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना कि यह योजना पंथा चटर्जी के मामले

में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार नहीं बनाई गई थी। इसने योजना और एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया और सरकारी अधिकारियों को पंथा चटर्जी के मामले में बताए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए योजना को नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया। व्यथित होकर, भारत संघ और अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन ने अपील दायर की।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभीनिर्धारित: 1.1. अपील के तहत फैसले में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने ठीक ही कहा कि पिछली डिवीजन बेंच का इरादा यह था कि योजना को न केवल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में तैयार किया जाना था, बल्कि पंथा चटर्जी के मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये विचार के आलोक में भी बनाया जाना था। विवादित योजना पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयार नहीं किया गया था और निश्चित रूप से पंथा चटर्जी के मामले में निर्णय के अनुरूप नहीं था। जैसा कि अपील के तहत फैसले में बिल्कुल सही बताया गया है, यह ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय का इरादा था, कि प्रत्यर्थी होम गार्ड को अंडमान और निकोबार की नियमित स्थापना में शामिल किया जाना था और उसके लिए कोई नई नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं थी। (पैरा 22) (982-एफ-जी)

पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य। बनाम पंथा चटर्जी एवं अन्य

2003(1) सप्ली.। एस सी आर 427=2003 (6) एस सी सी 469,
पर भरोसा किया गया।

1.2. ट्रिब्यूनल के साथ-साथ न्यायालयों का इरादा यह था कि योग्य उत्तरदाताओं का अवशोषण एक ही बार में हो, न कि चरणों में। जैसा कि योजना में दिया गया है वह वास्तव में, ऐसी प्रक्रिया का निर्देश न तो ट्रिब्यूनल, न ही उच्च न्यायालय, न ही इस न्यायालय द्वारा पंथा चटर्जी के मामले में दिया गया है। (पैरा 22, 982-एफ-जी)

2. पंथा चटर्जी के मामले की तर्ज पर निर्देशों को लागू करने में, 100 प्रतिशत आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उत्तरदाताओं के अवशोषण से नई नियुक्तियाँ नहीं हुईं जो आरक्षण के सवाल को जन्म दे सकती थीं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बहुत सही ढंग से कहा है कि ट्रिब्यूनल और न्यायालयों का इरादा यह था कि रिट याचिकाकर्ताओं (यहां प्रतिवादियों) को दिए जाने वाले लाभ उन सभी को समान रूप से और बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाने चाहिए। तथ्य यह है कि उत्तरदाताओं में से कुछ को नियमित कर दिया जाएगा, जबकि अन्य को अगली रिक्तियां आने तक इंतजार करना होगा या संभावना है कि कुछ उम्मीदवार जो अन्यथा पात्र थे, उन्हें भी अवशोषित नहीं किया जाएगा, जब इसका इरादा कभी भी नहीं था जब प्रत्यर्थियों को अवशोषित करने के लिए

योजना बनाने के निर्देश दिये गये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की कार्रवाई पहले के आदेशों के प्रभाव को नकारने के लिए और कुल मिलाकर उत्तरदाताओं को अवशोषण के लाभ और समान कार्य के लिए समान वेतन के अतिरिक्त लाभ से वंचित करने के लिए अपनाई गई है, जैसा कि पंथा चटर्जी के मामले में संकेत दिया गया था। .उत्तरदाताओं की वेतन संरचना में असमानता के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, जिन्हें चरणों में समाहित किया जाना था, उनके सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ प्रभावित होंगे और एक समान नहीं होंगे, जिसका इरादा तब भी नहीं था जब प्रत्यर्थियों को अवशोषित करने के लिए योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए थे। (पैरा 22, 982-जी-एच; 983-ए-डी,)

3. योजना का खंड (एच), जिस पर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की है, इससे इनकार करता है। इससे प्रत्यर्थियों को योजना में निर्दिष्ट के अलावा कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, जिससे वर्ग के भीतर एक वर्ग का निर्माण होगा जो न केवल संविधान के अनुच्छेद 16 के विपरीत है, बल्कि मौजूदा होम गार्ड के अवशोषण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के भी विपरीत है। यहां तक कि खंड (i) भी प्रकृति में मनमाना और भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां कुछ प्रत्यर्थी जो अन्यथा पात्र थे, उन्हें नियमित प्रशासन में शामिल नहीं किया जा सकता है जो उन्हें केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च

न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के लाभों से वंचित कर देगा। (पैरा 23, (983 डी-एफ,))

4. अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रश्न पर, यह संकेत दिया जा सकता है कि हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदों का सृजन कार्यपालिका का विशेषाधिकार है, कुछ विशेष अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस तरह की कार्रवाई का सहारा इस न्यायालय द्वारा लिया गया है और यह एक ऐसा मामला है जहां ऐसे निर्देश के लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अपीलकर्ताओं और संबंधित लोगों को डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया जाता है। (पैरा 24, 25 और 26, 983-जी-एच; 984-ए-बी,)

डिविजनल मैनेजर, अरावली गोल्फ क्लब और अन्य बनाम चन्द्रहास और अन्य 2008 एस सी सी 683; मूल राज उपाध्याय बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 1994 (सप्ली.) 2 एससीसी 316; मणिपुर राज्य और अन्य बनाम केएसएच। मोडरएनजीनिंथौ सिंह और अन्य 2007 (10) एससीसी 544; सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी और अन्य 2006 (4) एससीसी 1 और बाबूराम बनाम सी.सी. जैकब और अन्य 1999 (3) एससीसी 362, संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

2008 एससीसी 683	संदर्भित	पैरा 13
1994 (सुपप.) 2 एससीसी 316	संदर्भित	पैरा 14
2007 (10) एससीसी 544	संदर्भित	पैरा 14
2006 (4) एससीसी 1	संदर्भित	पैरा 14
1999 (3) एससीसी 362	संदर्भित	पैरा 19

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3379/2009

2006 के एमएटी नंबर 025 में पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता सर्किट बेंच के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.01.2007 से।

अपीलकर्ताओं के लिए एस.के.दुबे, एस. वसीम ए. कादरी, सुभाष कौशिक, तिवारी, डी.एस. मेहरा।

प्रत्यर्थियों की ओर से बिमल कुमार दास, यदुनंदन बंसल और रऊफ रहीम।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

अल्टमस कबीर, जे.

1. अनुमति दी गई.

2. भारत के संविधान की धारा 240(1) अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने "अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होमगार्ड विनियमन, 1964" (इसके बाद संदर्भित 1964 रेगुलेश")

की घोषणा की। उक्त विनियम के विनियम 16 के तहत, तत्कालीन मुख्य आयुक्त (अब उप राज्यपाल), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, “ अंडमान और निकोबार होमगार्ड नियम, 1965” (इसके बाद इसे “1965” कहा गया है) एक स्वैच्छिक संगठन प्रदान करने के लिए “ए एंड एन द्वीप समूह होम गार्ड संगठन” नाम दिया गया जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के लिए आपातकालीन स्थिति में और अन्य प्रयोजनों में उपयोग करने के लिए बनाया गया।

3. प्रत्यर्थियों को होमगार्ड संगठन के विनियम 4 के तहत सदस्यों के रूप में अलग-अलग तिथियों को तीन वर्ष और उसकी बाद की अवधि के लिए नियुक्त किया गया और फिर उनसे लगातार अपने नियमित प्रकृति के कर्तव्यों का पालन कराया जाता रहा। उन्हें बिना किसी रूकावट के अंडमान एवं निकोबार पुलिस के पर्यवेक्षण, परिचालन नियंत्रण एवं अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के समग्र नियंत्रण के तहत कार्य करने के लिए तैनात किया गया। प्रत्यर्थियों द्वारा दायर याचिका के सारणीबद्ध बयान के हिस्से से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी 12 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक कुछ समय से काम कर रहे हैं चूंकि प्रत्यर्थियों ने स्थायी प्रकृति का कार्य निष्पादित करने का दावा किया लेकिन उनके साथ एक ही संगठन के नियति कर्मचारीयों से अलग व्यवहार किया गया। उन्होंने नियमित होम

गार्ड के समान काम के लिए समान वेतन या उनकी सेवाओं को नियमित करने का दावा किया।

4. नियमित प्रशासन में अपने समकक्षों की तुलना में उनके साथ किए गए विभेदक व्यवहार से दुखी होकर, प्रत्यर्थियों ने दो मूल आवेदन ओ.ए. क्रमांक. 122/ए. एण्ड एन./1999 (पारुल देबनाथ एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) और ओ.ए. क्रमांक 28/एएन/2002 (एस. सेल्वा राज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता बेंच, पोर्ट ब्लेयर में सर्किट बेंच के समक्ष होम गार्ड की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक उचित/तर्कसंगत योजना तैयार करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश जारी किए जाने के लिए दायर किए जो कई वर्षों से काम कर रहे थे और उन्हें नियमित संगठन में उनके समकक्षों के संबंध में समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए और विशेष रूप से उन होम गार्डों को जो ऐसे कर्तव्यों का पालन कर रहे थे जो ए एंड एन प्रशासन के नियमित कर्मचारियों के कर्तव्यों के समान थे।

5. ट्रिब्यूनल ने 16 सितंबर, 2002 को एक सामान्य आदेश पारित करके उक्त मूल आवेदनों का निपटारा कर दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों और विशेष रूप से भारत संघ, ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रत्यर्थी नंबर 1 को फ्रेमिंग पर विचार करने का निर्देश दिया गया। समावेश के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के परामर्श से एक

उपयुक्त योजना यहां प्रतिवादीयों जैसे व्यक्तियों की नियमितीकरण/नियुक्ति जो कई वर्षों से होम गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। योजना तैयार करते समय, प्रत्यर्थी नंबर 1 को मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आदेश के पैराग्राफ 7 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया था। यह प्रावधान किया गया था कि अपीलकर्ताओं द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर उक्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

6. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 16 सितंबर, 2002 के उक्त आदेश को दो रिट याचिकाओं 2003 की डब्ल्यूपीसीटी संख्या 73 (भारत संघ और अन्य बनाम पारुल देबनाथ और अन्य) और 2003 की डब्ल्यूपीसीटी संख्या 158 -(भारत संघ और अन्य बनाम एस. सेल्वा राज और अन्य), के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, पोर्ट ब्लेयर में सर्किट बेंच के समक्ष चुनौती दी गई थी। उक्त दोनों रिट याचिकाओं का निस्तारण एक सामान्य निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.12.2003 द्वारा किया गया। रिट याचिकाओं का निपटारा करते समय, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति पर विचार करने के अलावा, इस न्यायालय के निर्णय पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य. बनाम पंथा चटर्जी और अन्य (2003 (6) एससीसी 469) में को भी ध्यान में रखा जहां एक समान स्थिति में इस न्यायालय द्वारा समान उद्देश्यों के

लिए एक योजना तैयार करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे और उचित प्राधिकारी को ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया और ऐसा करते समय पंथा-चटर्जी मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जावे।

7.2003 के डब्ल्यूपीसीटी नंबर 73 और 2003 के डब्ल्यूपीसीटी नंबर 158 में पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच द्वारा पारित आदेशों के बाद, एक मनोज कुमार सिंह और अन्य, जो समान रूप से यहां प्रत्यर्थी के रूप में उपस्थित थे; कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष 2004 के डब्लू पी सं. 22 के रूप में एक रिट-याचिका दायर की गई जिसे 18 मार्च, 2004 को उत्तरदाताओं को पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) के अनुपात के अनुसार रिट याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के निर्देश के साथ निस्तारित किया गया। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता खंडपीठ की सर्किट बेंच ने एवं साथ ही उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने एसएलपी (सी) 2004 की संख्या 14859 और और एसएलपी (सी) संख्या सीसी 7017/2004 को क्रमशः 09 अगस्त, 2004 और 30 अगस्त, 2004 को प्रारम्भ में खारिज कर दिया गया। उसके विरुद्ध भारत संघ द्वारा विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर की गईं, इसके बाद, 5 अप्रैल, 2005 को अपीलकर्ताओं द्वारा एक योजना तैयार की गई इसमें 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है प्रत्यर्थियों को चरणबद्ध तरीके से समायोजित करने

के लिए रिक्त पदों पर, जबकि 80 प्रतिशत रिक्तियों को अन्य उम्मीदवारों के लिए अलग रखा गया। जो योजना बनाई गई थी उसके खिलाफ प्रत्यर्थियों ने 2005 की रिट याचिका संख्या 195 में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी थी, जिन्होंने अपने फैसले और आदेश से 28 जुलाई, 2006 को दिनांकित किया था। उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई यह मानते हुए कि योजना को सरकारी प्राधिकारियों द्वारा पंथा चटर्जी के मामले में निर्धारित सिद्धांत (सुप्रा) का उचित सम्मान देते हुए तैयार किया गया था।

8. अपील में मामला डिवीजन बेंच एमएमटी संख्या 25/ 2006 में ले जाया गया, यह आश्चर्य होने पर कि योजना पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) में व्यक्त विचारों के अनुसार नहीं बनाई गई थी, डिवीजन बेंच ने 22 जनवरी, 2007 के फैसले और आदेश द्वारा न केवल 5 अप्रैल, 2005 को बनाई गई योजना को रद्द कर दिया। लेकिन 28 जुलाई, 2006 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। डिवीजन बेंच ने सरकारी अधिकारियों को पंथा चटर्जी मामले (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए योजना को नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया।

9. तत्काल अपील, भारत संघ, उपराज्यपाल, ए एंड एन द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर और द्वीप समूह प्रशासन के अन्य अधिकारियों द्वारा, दायर की

गई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के फैसले को गलती से उलट दिया था। तथ्य यह है कि यह योजना पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तैयार की गई थी।

10. अपील के समर्थन में उपस्थित होते हुए, श्री एस.के. दुबे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के पैराग्राफ 7 और 8 में की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया, जिसमें कहा गया था कि समान स्थितियों में होम गार्ड को कवर करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेशों को ध्यान में रखा जावे। इसके लिए भारत संघ के लिए यह उचित होगा कि वह मामले की जांच करने के लिए एनसीटी दिल्ली सरकार से संपर्क करें और यदि आवश्यक हो, तो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप योजना को संशोधित करें। श्री दुबे ने बताया कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर वेतन समानता के प्रत्यर्थियों के दावे को 1964 के विनियमन के प्रावधानों और 1965 में उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंध में अस्वीकार कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीयों की सेवाओं के नियमितीकरण का प्रश्न भी नहीं उठता क्योंकि वे स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे थे।

11. अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया कि यदि सभी रिक्तियां प्रतिवादीयों के बीच से भरी जाएंगी, तो यह 100 प्रतिशत आरक्षण होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत है।

12. 2003 के डब्ल्यूपीसीटी नंबर 73 और 2003 के डब्ल्यूपीसीटी नंबर 158 में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयार की गई योजना पर ध्यान आकर्षित करते हुए, श्री दुबे ने कहा कि अनुच्छेद 14 और 16 की मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुसार, चरणबद्ध तरीके से उत्तरदाताओं के अवशोषण के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी करने का निर्णय लिया गया। श्री दुबे ने प्रस्तुत किया कि इस तरह की कार्रवाई न केवल अधिकारियों को उच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करने में सक्षम बनाएगी, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं का अनुपालन भी करेगी (यह इस तरह के नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखते हुए था) इस योजना में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी वर्ष होने वाली रिक्तियों में से किसी भी वर्ष में होने वाली रिक्तियों में "ए एंड एन प्रशासन" के तहत सभी ग्रुप डी पदों में और ए एंड एन पुलिस विभाग के तहत ग्रुप सी में कांस्टेबल के पद पर मौजूदा रिक्तियां शामिल होंगी, उनका 20 प्रतिशत होगा। होम गार्ड के लिए निर्धारित, जो नामांकित थे और जिन्होंने कम से कम पांच साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी और भर्ती नियम/अंडमान और निकोबार

पुलिस मैनुअल, 1963 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सहित पात्रता शर्तों को पूरा किया था। श्री दुबे ने बताया कि योजना में यह भी प्रावधान किया गया था कि 20 प्रतिशत कोटा तब तक जारी रहेगा जब तक कि योजना के तहत अवशोषण के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले सभी मौजूदा होम गार्ड को अवशोषित नहीं कर लिया जाता। श्री दुबे ने प्रस्तुत किया कि 22.1.2007 के अपने आदेश द्वारा, 2006 के एमएटी संख्या 25 में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने योजना को रद्द करने में गलती की, जैसा कि तय किया गया था, यह मानते हुए कि न्यायालय या पंथा चटर्जी के मामले में निर्देश (सुप्रा) के अनुरूप नहीं थी। श्री दुबे ने प्रस्तुत किया कि डिवीजन बेंच ने 16 दिसंबर, 2003 को उपर्युक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अधिकारियों को एक योजना तैयार करने और ऐसा करते समय पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया। श्री दुबे ने आग्रह किया कि ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि योजना को उक्त मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तैयार करना होगा, लेकिन वर्तमान योजना को तैयार करते समय इसे ध्यान में रखना होगा।

13. संवैधानिक प्रावधानों और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर, अधिकारियों ने तत्काल योजना बनाई, जिसके बारे में उन्हें लगा कि यह दोनों स्थितियों

का ध्यान रखेगी। यह भी आग्रह किया गया था कि मौजूदा होम गार्डों के अवशोषण के लिए अतिरिक्त पदों के निर्माण के लिए दिए गए निर्देश को इस न्यायालय द्वारा ऐसे पदों और बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्य प्रशासन पर वित्तीय प्रभाव को देखते हुए कई मौकों पर खारिज कर दिया गया था। इसके साथ जाने के लिए. इस संबंध में, डिविजनल मैनेजर, अरावली गोल्फ क्लब और अन्य बनाम चंदर हास और अन्य 2008 (1) एससीसी 683, में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था, जिसमें इस तथ्य के बावजूद कि कोई मंजूरी नहीं दी गई थी। ट्रेक्टर चालकों के जिन पदों पर प्रतिवादीयों को नियमित किया जा सकता था, ऐसे पद सृजित करने और उक्त नवसृजित पदों के विरुद्ध दावेदारों की सेवाओं को नियमित करने के निर्देश दिए गए थे, इस न्यायालय का मानना था कि ऐसा निर्देश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से परे है। न्यायालयों का इस आशय की और टिप्पणियाँ की गईं कि न्यायालय पदों के सृजन का निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि यह कार्यकारी या विधायी प्राधिकारियों का विशेषाधिकार है और न्यायालय इस विशुद्ध कार्यकारी या विधायी कार्य को अपने ऊपर नहीं ले सकता और पदों के सृजन का निर्देश नहीं दे सकता। यह भी देखा गया कि इस न्यायालय ने बार-बार बताया है कि पद का सृजन एक कार्यकारी और विधायी कार्य है क्योंकि इसमें आर्थिक कारक शामिल होते हैं।

14. चरणवार अवशोषण के संबंध में अपनी दलीलों के समर्थन में, श्री दुबे ने मूल राज उपाध्याय बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1994 (सप्ल.) 2 एससीसी 316) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें, इसी तरह स्थिति, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने पाया कि नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित योजना द्वारा संशोधित अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, राज्य पर बकाया के भुगतान से उत्पन्न होने वाले वित्तीय प्रभावों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। उसमें उल्लिखित अवधि इसने उस योजना को भी मंजूरी दे दी जिसमें वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से दैनिक वेतन/मस्टर-रोल श्रमिकों को नियमित करने का निर्णय शामिल था। श्री दुबे ने गुजरात कृषि विश्वविद्यालय बनाम राठौड़ लाभू बेचार और अन्य (2001 (3) एससीसी 574,) मामले में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगी मजदूरों के नियमितीकरण की अनुमति दी थी। चरणबद्ध तरीके से श्री दुबे ने अंत में मणिपुर राज्य और अन्य बनाम केएसएच में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। मोइरांगिनथौ सिंह और अन्य (2007 (10) एससीसी 544) जिसमें कर्नाटक राज्य के सचिव और अन्य बनाम उमा देवी और अन्य (2006 (4) सेकंड 1, के मामले में निर्णय के बाद, यह माना गया कि की अनुपस्थिति में विशिष्ट नियमों के अनुसार,

न्यायालय के पास मणिपुर होम गार्ड अधिनियम, 1966 के तहत होम गार्ड की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं थी।

15. श्री दुबे ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, डिवीजन बेंच, और, तदनुसार, अपील के तहत निर्णय को रद्द किया जाना था और तैयार की गई योजना को मंजूरी दी जानी थी।

16. श्री दुबे की दलीलों का श्री बी.के. दास ने जोरदार विरोध किया। विद्वान अधिवक्ता दास ने तर्क दिया कि योजना, जैसा कि तैयार की गई है, केवल ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति दिखावा करने के लिए थी और इसे 2006 एमएटी नंबर 25 में डिवीजन बेंच द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि रिट याचिकाओं का निपटारा करते समय डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्देशों में विशेष रूप से अधिकारियों को पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि ट्रिब्यूनल का निर्णय उचित था। चूंकि उक्त निर्देश इस अपील के निपटान के लिए प्रासंगिक है, इसलिए इसे यहां नीचे दिया गया है:-

"यदि आवश्यक हो, तो अपील किए गए आदेश में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए एक उचित अधिसूचना जारी करके, उपयुक्त प्राधिकारी विद्वान न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार एक योजना तैयार करेगा। जब योजना तैयार की जानी है, तो उपयुक्त प्राधिकारी पंथा चटर्जी (सुप्रा) में निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा।"

17. श्री दास ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त निर्देशों से, यह स्पष्ट होगा कि यह उच्च न्यायालय का इरादा था कि योजना को पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्यथा, यदि यह इरादा नहीं था, तो पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) का संदर्भ अनावश्यक था। तैयार की गई योजना का उल्लेख करते हुए, श्री दास ने आग्रह किया कि यह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों का इरादा था, कि सभी उत्तरदाताओं को एक साथ समाहित किया जाना था, न कि किशतों में, जैसा कि मांग की गई है अधिकारियों द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जो निर्देश अवशोषण के लिए दिए गए हैं, उसमें केवल उत्तरदाताओं की सेवाओं के नियमितीकरण की आवश्यकता

है, न कि नई नियुक्तियों की और इसलिए किसी भी आधार पर आरक्षण का प्रश्न तत्काल मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

18. श्री दास ने प्रस्तुत किया कि बनाई गई योजना डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं थी और अपीलकर्ताओं की ओर से यह गलत दावा किया गया था कि किसी विशिष्ट निर्देश के अभाव में, उन्हें पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों के आधार पर इस योजना को तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। श्री दास ने आग्रह किया कि यदि योजना के प्रत्येक भाग का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसे इस तरह से तैयार किया गया था, जो रिट याचिकाओं का निपटारा करते समय डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत था। पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए। श्री दास ने आग्रह किया कि इस योजना में होम गार्ड के एक ही वर्ग के भीतर विभाजन पैदा करने का प्रयास किया गया है, जिनके मामले डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्देशों के दायरे में आते हैं, जो उनका इरादा नहीं था।

19. बाबूराम बनाम सी.सी. जैकब मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया था। जैकब और अन्य (1999 (3) एससीसी 362,, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून की संभावित घोषणा सुलझाए गए मुद्दों को

फिर से खोलने और कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए है। तदनुसार, एक बार जब पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) में होम गार्ड की सेवाओं के नियमितीकरण से संबंधित मामले का अंतिम निर्णय हो गया, तो यह नहीं था अब केंद्र सरकार उक्त निर्णय को विफल करने के लिए एक योजना तैयार करें।

20. श्री दास द्वारा आग्रह किया गया कि डिवीजन बेंच के फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, हम श्री दास की दलीलों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं, जो पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की डिवीजन बेंच के फैसले के समर्थन में थीं।

22. सबसे पहले, हम श्री दास और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच से सहमत हैं कि मनोज कुमार सिंह और अन्य द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं का निपटारा करते समय पिछली डिवीजन बेंच का इरादा यह था कि योजना को न केवल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में, बल्कि पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) में व्यक्त विचारों के आलोक में भी तैयार किया जाना था। तैयार की गई योजना पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे डिवीजन बेंच और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयार नहीं किया गया था और

निश्चित रूप से पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) में दिए गए निर्णय के अनुरूप नहीं था। जैसा कि अपील के तहत फैसले में बिल्कुल सही बताया गया है, यह ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय, साथ ही इस न्यायालय दोनों का इरादा था, प्रत्यर्थी होम गार्ड को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की नियमित स्थापना में समाहित किया जाना था और कोई नई नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, ट्रिब्यूनल के साथ-साथ न्यायालयों का इरादा यह था कि योग्य उत्तरदाताओं का अवशोषण एक ही चरण में हो जाना चाहिए और चरणों में नहीं, जैसा कि प्रस्तावित योजना में सुझाव देने की मांग की गई है। वास्तव में, पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) में ऐसी प्रक्रिया को न तो ट्रिब्यूनल, न ही उच्च न्यायालय, न ही इस न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। परिणामस्वरूप, 100 प्रतिशत आरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उत्तरदाताओं के अवशोषण से नई नियुक्तियाँ नहीं हुईं जो आरक्षण के प्रश्न को जन्म दे सकती थीं। हमारे विचार में, डिवीजन बेंच ने बहुत सही ढंग से देखा है कि ट्रिब्यूनल और न्यायालयों का इरादा यह था कि रिट याचिकाकर्ताओं (यहां प्रत्यर्थियों) को दिए जाने वाले लाभ उन सभी को समान रूप से और बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाने चाहिए। तथ्य यह है कि कुछ उत्तरदाताओं को नियमित कर दिया जाएगा, जबकि अन्य को अगली रिक्तियां आने तक इंतजार करना होगा या संभावना है कि कुछ उम्मीदवार जो अन्यथा पात्र थे, उन्हें भी शामिल नहीं किया जाएगा,

जब निर्देश दिए गए थे तो उनका ऐसा इरादा कभी नहीं था। उत्तरदाताओं को समाहित करने के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। हमारे विचार में, ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की कार्रवाई पहले के आदेशों के प्रभाव को नकारने के लिए अपनाई गई है ताकि उत्तरदाताओं को समग्र रूप से अवशोषण के लाभ और समान कार्य के लिए समान वेतन के अतिरिक्त लाभ से वंचित किया जा सके। जैसा कि पंथा चटर्जी के मामले (सुप्रा) में संकेत दिया गया था। उत्तरदाताओं की वेतन संरचना में असमानता के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, जिन्हें चरणों में समाहित किया जाना था, उनके सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ प्रभावित होंगे और एक समान नहीं होंगे, जिसका इरादा तब भी नहीं था जब योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए थे।

23. उक्त उत्तरदाताओं को समाहित करने के लिए योजना का खंड (एच), जिस पर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की है, उत्तरदाताओं को योजना में निर्दिष्ट लाभों के अलावा किसी भी अन्य लाभ से वंचित करता है, जिससे एक वर्ग का निर्माण होता है। वर्ग, जो न केवल संविधान के अनुच्छेद 16 के विपरीत है, बल्कि मौजूदा होम गार्ड के अवशोषण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के भी विपरीत है। यहां तक कि खंड (i) भी प्रकृति में मनमाना और भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां कुछ उत्तरदाता जो

अन्यथा पात्र थे, उन्हें नियमित प्रशासन में शामिल नहीं किया जा सकता है जो उन्हें केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के लाभों से वंचित कर देगा।

24. अतिरिक्त पदों के सृजन के सवाल पर, यह संकेत दिया जा सकता है कि हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदों का सृजन कार्यपालिका का विशेषाधिकार है, कुछ विशेष अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस न्यायालय द्वारा इस तरह की कार्रवाई का सहारा लिया गया है और हमारे विचार में यह एक ऐसा मामला है जहां ऐसे निर्देश के लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

25. ऐसी परिस्थितियों में, हमें दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता और तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

26. अपीलकर्ताओं और संबंधित लोगों को इस आदेश के संचार की तारीख से तीन महीने के भीतर डिविजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले में दिए गए निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया जाता है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कृष्ण मुरारी जिन्दल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।